COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेशं ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी – 4099/2018/छतरपुर/भू.रा. सन्

(1) महेन्द्र कुमार आयु 58 वर्ष पिता स्व. लक्ष्मी प्रसाद सोनी
निवासी बजरिया मुहल्ला राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ..............निगरानीकर्ता

बनाम

(1) सुधीर तनय गजाधर सोनी

(2) अरूण तनय प्रेमनारायण सोनी

(3) गजाधर तनय नीलकण्ठ सोनी

(4) श्रीमती नेहा विधवा नरेन्द सोनी

(5) यश पुत्र स्व. नरेन्द्र सोनी, आयु 17 वर्ष ना.बा.

(6) कु. कृष्णा पुत्री स्व. नरेन्द्र सोनी 14 वर्ष ना.बा.
दोनों की सरपरस्त माँ नेहा सोनी

समस्त निवासी सोनी मुहल्ला राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

(7) भवानीदीन तनय छिकौड़िया कुशवाहा
निवासी ग्राम खजुराहो तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....................उत्तरवादीगण

श्री क्र.-५२१ श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 2.7.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक बहस हेतु दिनांक 10.7.18 नियत।
2.7.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 66 अपील 15–16 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 से परिवेदित होकर।**

महोदय,

आवेदक निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :–

## निगरानी के तथ्य

(1) यह कि भूमि खसरा नं. 102/1 रकवा 2.512 हेक्टर स्थित ग्राम खजुराहो का भूमि स्वामी आधिपत्यधारी उत्तरवादी क्र. 7 का पिता छिकौड़ी तनय बसोरे काछी निवासी खजुराहो का था तथा उक्त भूमि पर हमेशा छिकौड़ी तनय बसोरे काछी काबिज रहा है।

(2) यह कि छिकौड़ी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उसके पुत्र प्रति निगरानीकर्ता क्र. 7 के नाम नामान्तरण की गयी और उत्तरवादी क्र. 7 उक्त भूमि का भूमि स्वामी हो गया था।

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–4099/2018/छतरपुर/भू.रा.

महेन्द्र कुमार विरूद्ध सुधीर आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11–03–2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री सुन्दरम श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 66/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21–06–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(आर0के0 जैन) 11.3.19<br>सदस्य | |